छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर
– – 0 – –
:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 / 04 / 2024

क्रमांक एफ 3–32 / 2019 / 38–1 :: राज्य शासन द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। उक्त नीति की रूपरेखा एवं अन्य आवश्यक तैयारियों हेतु एक क्रियान्वयन कार्यदल (Implementation Task Force) तथा 06 कार्यसमूहों (Working Groups) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

क्रियान्वयन कार्यदल (Implementation Task Force)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने हेतु कार्ययोजना एवं रूपरेखा तैयार करने हेतु क्रियान्वयन कार्यदल के सहयोग हेतु 06 कार्यसमूहों का गठन किया जाता है। कार्यसमूहों के प्रतिवेदनों का संयोजन कर कार्यदल अंतिम कार्ययोजना एवं रूपरेखा तैयार कर राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को 45 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगी।

कार्यदल के सदस्य निम्नानुसार होंगे:–

1.	प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	– संयोजक
2.	डॉ. आर. श्रीधर, कुलपति, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर	– सदस्य
3.	डॉ. किरण गजपाल, प्राचार्य, शासकीय दुधाधारी बजरंग महाविद्यालय, रायपुर	– सदस्य
4.	अपर संचालक, वित्त, उच्च शिक्षा संचालनालय	– सदस्य
5.	डॉ. प्रीति सुरेश, निदेशक, एचआरडीसी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यलाय, रायपुर	– सदस्य
6.	डॉ. एच. एस. होता, विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर साइंस, अटल बिहारीवाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर	– सदस्य
7.	कार्यसमूहों के सदस्य सचिव	– सदस्य
8.	अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिये नोडल है	– सदस्य
9.	डॉ. टी.रामा राव, कुलपति, आंजनेय विश्वविद्यालय, रायपुर	– सदस्य
10.	डॉ. अनुपम तिवारी, डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर	– सदस्य
11.	डॉ. जी.ए.घनश्याम, पदोन्नत प्राध्यापक, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, बिलासपुर	– सह सदस्य सचिव

क्रमशः.....2

संदर्भ शर्तें (Terms of Reference- ToR)

कार्यदल निम्नांकित बिंदुओं पर विस्तृत क्रियान्वयन प्रारूप तैयार करेंगेः–

1. NEP 2020 लागू करने हेतु संपूर्ण रूपरेखा निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु चरणबद्ध तरीके से समय–सीमा का निर्धारण।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार राज्य में संचालन हेतु कोर्सेस/पाठ्यक्रम का डिजाइन/निर्माण।
3. नियमों/अधिनियमों/अध्यादेशों में परिवर्तन की रूपरेखा।
4. NEP 2020 / CBCS लागू करने के लिये राज्य/संचालनालय/शासन स्तर पर किये जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा।
5. NEP 2020 / CBCS लागू करने के लिये विश्वविद्यालय के स्तर पर किये जाने वाले बदलाव की रूपरेखा।
6. NEP 2020 / CBCS लागू करने के लिये महाविद्यालय के स्तर पर किये जाने वाले बदलाव की रूपरेखा चेकलिस्ट के साथ तैयार करना।
7. NEP 2020 को लागू करने हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अमले के क्षमता संवर्धन के लिये विस्तृत प्रशिक्षण की रूपरेखा।
8. विद्यार्थियों को विश्वास में लेकर कार्यवाही हेतु संवेदीकरण (Sensitization) कार्यक्रमों की रूपरेखा।
9. NEP 2020 को लागू करने के लिये सूचना तकनीकी के उपयोग की रूपरेखा तैयार करना।
10. NEP 2020 लागू करने हेतु राज्य स्तर पर वित्तीय भार का आंकलन कर व्यय हेतु वित्तीय स्त्रोतों के उपाय बताना।

कार्य समूह (Working Group)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने के लिये विभिन्न विषयों पर सूक्ष्मता से अध्ययन कर कार्य दल को सुझाव देने हेतु कार्यदल के अंतर्गत निम्नांकित कार्यसमूहों का गठन किया जाता है :–

1. कोर्सेस/पाठ्यक्रम करिकुलम, क्रेडिट फ्रेमवर्क, असेसमेंट कार्य समूह

नई राष्ट्रीय नीति 2020 लागू करने के लिये कोर्सेस/पाठ्यक्रम करिकुलम, क्रेडिट फ्रेमवर्क, असेसमेंट पर सुझाव देने हेतु निम्नानुसार कार्यसमूह का गठन किया जाता हैः–

1.	प्रो. मनोज श्रीवास्तव, कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर	– संयोजक

क्रमशः.....3

2.	प्रो. के.पी. यादव, कुलपति, मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर	–सदस्य
3.	डॉ. ओ.पी. गुप्ता, प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	–सदस्य
4.	डॉ. जगजीत कौर सलूजा, प्राध्यापक, शासकीय वी.वाय.टी. महाविद्यालय दुर्ग	–सदस्य
5.	डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे, सहायक प्राध्यापक, विधि शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ महाविद्यालय, रायपुर	–सदस्य
6.	डॉ. शीला श्रीधर, सहायक प्राध्यापक, भूगोल शासकीय डी.बी. कन्या महाविद्यालय, रायपुर	–सदस्य
7.	डॉ. राजकमल मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी राजीवगांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अंबिकापुर	–सदस्य
8.	डॉ. आर.एन. सिंह, संचालक, एकडेमिक, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग	–सदस्य
9.	श्री मीमो प्रसाद बंजारे, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी, छत्तीसगढ़	–सदस्य
10.	डॉ. डी.के. श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शास. विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर	– सदस्य सचिव

संदर्भ शर्तें (Terms of Reference - ToR)

कोर्सेस/पाठ्यक्रम करिकुलम एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क पर गठित कार्यसमूह द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर सुझाव दिये जायेंगे:–

1. NEP 2020 के संदर्भ में राज्य में डिग्री/कोर्सेस/पाठ्यक्रम/करिकुलम/संकाय/विषय/पेपर इत्यादि का दस्तावेजों में उपयोग करने से पहले हिन्दी तथा अंग्रेजी में परिभाषित करेंगे।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में किन–किन संकायों के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेस चलाये जायंगे।
3. अनुशंसित कोर्सेस के सेमेस्टर वार करिकुलम एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क डिजाईन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विस्तृत विवरण तैयार करना।
4. अनुशंसित कोर्सेस में मूल्यांकन/आंकलन की पद्धति का विस्तृत विवरण तैयार करना।
5. विद्यार्थियों के सेमेस्टर के परिणाम के आधार पर आगामी सेमेस्टर में प्रमोशन हेतु नियमावली तैयार करना।
6. अनुशंसित कोर्सेस के अंतर्गत मेजर, माइनर विषयों तथा इन्टरडिसीप्लीनरी इलेक्टिव, AEC, SEC, VAC, सामुदायिक सहभागिता (Community Engagement), फील्ड परियोजनाएं इत्यादि के संबंध में विस्तृत वर्गीकरण तथा क्रेडिड स्कोर का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी करिकुलम एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क डिजाईन के अनुसार निर्धारण।

क्रमशः.....4

7. उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित करिकुलम में अनुसंधान का समन्वय (Integration) कर क्रेडिट निर्धारण। संसाधन अनुसार शोध केन्द्रों का चिन्हांकन।

8. विभिन्न ऑनलाईन पाठ्यक्रम एवं आईसीटी आधारित अध्ययन–अध्यापन हेतु योजना, प्रोत्साहन एवं क्रियान्वयन।

9. कोर्सेस, पाठ्यक्रम इत्यादि हेतु दूरस्थ अंचल/भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए सपोर्ट सिस्टम विकसित करना।

2. पुनर्गठन एवं ड्राफटिंग कार्यसमूह (Restructuring and Drafting Working Group)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में उच्च शिक्षा से संबंधित संरचना एवं उनके नियम/अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश में संशोधन के संबंध में सुझाव देने हेतु निम्नानुसार कार्य समूह का गठन किया जाता हैः–

1.	प्रो. ए.डी.एन. वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर	– संयोजक
2.	डॉ. आर.एस. खेर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सीपत	– सदस्य
3.	डॉ. अंजना शर्मा, सदस्य अकादमिक, छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर	– सदस्य
4.	डॉ. अलेख कुमार साहू, प्राध्यापक, विधि, रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर	– सदस्य
5.	डॉ. बी.पी. पटनायक, ओएसडी, अमेटी विश्वविद्यालय, रायपुर	– सदस्य
6.	डॉ. सुमित अग्रवाल, उप कुलसचिव, हेमचन्द यादव वि.वि. दुर्ग	– सदस्य
7.	डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय	– सदस्य
8.	डॉ. डी.के. श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शास. विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर	– सदस्य
9.	डॉ. सौमित्र तिवारी, सहायक प्राध्यापक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर	– सदस्य
10.	श्री तिलक सेनगुप्ता, सहा प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, आंरग	–सदस्य सचिव

संदर्भ शर्तें (Terms of Reference - ToR)

1. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को परिभाषित करना, संबद्ध महाविद्यालय, श्रेणीबद्ध स्वायत्ता (Graded Autonomy) आदि को परिभाषित करना।

2. NEP के अनुसार संस्थाओं को श्रेणीबद्ध स्वायत्ता (Graded Autonomy) प्रदान करने तथा संस्थाओं का अनुसंधान आधारित एवं शिक्षण आधारित वर्गीकरण हेतु रोडमैप तैयार करना।

क्रमशः.....5

3. विश्वविद्यालयों को बहुसंकायी बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की रूपरेखा तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के मध्य संबंधों को पुर्नपरिभाषित करना।

4. राज्य में NEP के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विभिन्न नियामक संस्थान जैसे– राज्य उच्च शिक्षा आयोग, राज्य उच्च शिक्षा विनियामक परिषद, राज्य प्रत्यायन परिषद, राज्य उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, एवं राज्य सामान्य शिक्षा परिषद के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करना।

5. निजी विश्वविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों के गुणवत्ता आश्वासन एवं विद्यार्थी कल्याण हेतु श्रेणीबद्ध स्वायत्ता ध्यान में रखते हुए विनियमन की रूपरेखा तैयार करना।

6. कार्य समूह द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में वर्तमान में प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों में आवश्यक संशोधन की पहचान कर नियम/अधिनियम में संशोधन हेतु कार्य समूह 1 (कोर्सेस/पाठ्यक्रम करिकुलम, क्रेडिट फ्रेमवर्क, असेसमेंट कार्य समूह) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

7. प्रारूप अध्यादेश तैयार करना, जिसे विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार स्वीकृत (Adopt) कर प्रचलन में लायेंगे।

3. सकल दर्ज अनुपात एवं शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्यसमूह (Working Group to Improve GER and Quality of Education)

यह कार्यसमूह राज्य में वर्ष 2035 तक 50% सकल दर्ज अनुपात प्राप्ति एवं NEP के प्रावधानानुसार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य करेगी। इस संबंध में सुझाव देने हेतु निम्नानुसार कार्य समूह का गठन किया जाता हैः–

1.	प्रो. बी.जी. सिंह, कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर	– संयोजक
2.	डॉ. रिजवान उल्ला खॉन, प्राचार्य, रांजीव गांधी शासकीय पी.जी. महा. अंबिकापुर	– सदस्य
3.	डॉ. विपिन शर्मा, संचालक, खेल, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर	– सदस्य
4.	श्रीमती अर्चना यादव, प्रभारी सहायक आयुक्त, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय, दुर्ग छत्तीसगढ़	– सदस्य
5.	डॉ. सिद्धार्थ चौधरी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, फरसगॉव	– सदस्य
6.	डॉ. कुसुमांजलि देशमुख, सहायक प्राध्यापक, शास. वी.वाय.टी. महा. दुर्ग	– सदस्य
7.	श्री योगेश शिवहरे, अतिरिक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर	– सदस्य
8.	डॉ. सुशील चन्द्र तिवारी, निदेशक अकादमिक शंकराचार्य प्रोफे. वि.वि. भिलाई	– सदस्य
9.	डॉ. धनजंय पाण्डेय, व्याख्याता, गणित, स्वामी आत्मानंद शासकीय बहु.उ. मा.वि. दयालबंध, बिलासपुर	– सदस्य
10.	डॉ. यू.पी. सिंह, उपाध्यक्ष, जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायपुर	– सदस्य

क्रमशः.....6

1.	श्री अभिनव दास, प्रबंधक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, दुर्ग	– सदस्य
12.	डॉ. कविता शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कन्या महा. देवेन्द्र नगर	– सदस्य
13.	डॉ. अमिताभ बैनर्जी, प्राचार्य, शास. छ.ग. जे.यो. महावि. रायपुर	– सदस्य सचिव

संदर्भ शर्तें (Terms of Reference - ToR)

1. सकल दर्ज अनुपात संवर्धन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना।
2. वंचित क्षेत्रों (Underserved Region) में आवश्यकतानुसार नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हेतु रोडमैप तैयार करना।
3. पी.पी.पी. मॉडल के तहत् वंचित क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना एवं 21वीं सदी की अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त शिक्षण संस्थाओं के निर्माण हेतु रूपेरखा तैयार करना।
4. शिक्षा में समानता तथा समावेशिता प्रभावशाली करने हेतु रूपरेखा तैयार करना।
5. उद्यमिता तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये रूपरेखा तैयार करना।
6. इंटर्नशिप, शोध, प्रकाशन इत्यादि की गुणवत्ता संवर्धन हेतु रूपरेखा तैयार करना।
7. विद्यार्थी कल्याण हेतु विभिन्न क्लबों के गठन, क्रीडा सुविधाओं के विस्तार तथा सहयोग केन्द्र (Support Centers) की स्थापना इत्यादि के कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करना।
8. पोषक संस्थाओं एवं महाविद्यालयों के मध्य प्रेरणात्मक संबंध हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

4. मानव संसाधन विकास कार्यसमूह (Human Resources Development Working Group)

NEP लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर शैक्षणिक अमला है, इसलिए उनकी क्षमता संवर्धन NEP के सुचारु क्रियान्वयन हेतु सर्वोपरि हैं। इस संबंध में सुझाव देने हेतु निम्नानुसार कार्य समूह का गठन किया जाता हैं :–

1.	डॉ. एल.पी. पटेरिया, कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि. रायगढ़	– संयोजक
2.	प्रो. रत्नेश सिंह, संचालक, मानव संसाधन विकास संस्थान, गुरूघासीदास केन्द्रीय वि.वि. बिलासपुर	– सदस्य
3.	डॉ. प्रीति सुरेश, संचालक, मानव संसाधन विकास संस्थान, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	– सदस्य

क्रमशः.....7

4.	डॉ. आरती परगनिहा, निर्देशक, आई.क्यू.ए.सी. पं. रविशंकर शुक्ल वि0वि0 रायपुर	– सदस्य
5.	डॉ. मधेष तिवारी, प्राचार्य, विप्र कला वाणिज्य एवं शारिरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	– सदस्य
6.	डॉ. अजय मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, लवन	– सदस्य
7.	डॉ. यू.के. श्रीवास्तव, प्राध्यापक, उपाध्यक्ष राजपत्रित प्राध्यापक अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़	– सदस्य
8.	डॉ. मनोज सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, भूगोल (कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना) अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर	– सदस्य
9.	डॉ. एस.के.त्रिपाठी, प्राध्यापक, अंग्रेजी, शासकीय महाविद्यालय पामगढ़	– सदस्य
10.	डॉ. अजय सिंह, प्राध्यापक, शास. वी.वाय.टी. महा. दुर्ग	– सदस्य सचिव

संदर्भ शर्तें (Terms of Reference - ToR)

1. शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमलों में पारदर्शी तरीके से उत्कृष्ट अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रावधान तैयार करना।
2. शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमलों के NEP के आवश्यकतानुरूप क्षमता संवर्धन एवं इस हेतु विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने हेतु सुझाव देना।
3. शैक्षणिक अमले के कैरियर प्रोग्रेशन की विस्तृत समयबद्ध रूपरेखा तैयार करना जिसके अंतर्गत शैक्षणिक अमले से अपेक्षित कौशल उन्नयन संबंधी प्रावधान को विस्तार से सम्मिलित किया जाए।
4. शैक्षणिक अमले के प्रशिक्षण से संबंधित संस्थाओं की स्थापना की संभावना पर विचार करना एवं वर्तमान संस्थाओं के सुदृढीकरण की रूपरेखा तैयार करना।
5. कुलपति, कुलसचिव, लोकपाल इत्यादि उच्चाधिकारियों के पारदर्शी तरीके से उत्कृष्ट अभ्यर्थियों के चयन के प्रावधान बताना। इन पदों के अधिकार के साथ–साथ जिम्मेदारियों को भी सूचीबद्ध किया जाना। कार्य निष्पादन के आंकलन की प्रक्रिया।

5. सूचना तकनीकी विस्तार कार्यसमूह (ICT Expansion Working Group)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से प्रदेश में Choice Based Credit System-CBCS लागू होगा। इस व्यवस्था में सूचना तकनीकी किस प्रकार से सहायक हो सकती है इस पर सुझाव देने हेतु निम्नानुसार कार्य समूह का गठन किया जाता है:–

1.	डॉ. एच.एस.होता, विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर साईंस, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर	– संयोजक
2.	डॉ. लक्ष्मी मूर्ति, निदेशक, आई.टी.एम. वि0वि0 रायपुर	– सदस्य

क्रमशः.....8

3.	डॉ. पंकज मेहता, उप संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर	– सदस्य
4.	श्री ए.के. सोमशेखर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, छत्तीसगढ	– सदस्य
5.	श्रीमती गार्गी शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	– सदस्य
6.	डॉ. शोएब अंसारी, ग्रन्थपाल, शासकीय काकतीय महा. जगदलपुर	– सदस्य
7.	श्री विवेक तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय ई.रा.रा. विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर	– सदस्य
8.	श्री जयेश करंजगांवकर, सहायक प्राध्यापक, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, अटारी रायपुर	– सदस्य
9.	श्री रोहित सिंह, राज्य समन्वयक, छ.ग. DigiLocker/NAD/ABC	– सदस्य
10.	श्री हिमांशु वर्मा, सहायक प्राध्यापक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर	–सदस्य सचिव

संदर्भ शर्तें (Terms of Reference - ToR)

1. CBCS के लागू होने से अध्ययन अध्यापन के विषयों में विस्तार होगा। इसमें सूचना तकनीक का प्रयोग कर किस प्रकार संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सकता है।
2. राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सूचना तकनीकी के टूल्स जैसे कि ABC/NAD, Digilocker, Samarth ERP System, SWAYAM Portal जैसे उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर सुझाव एवं समस्त संस्थानों में विस्तार।
3. NEP 2020 के लागू होने से उच्च शिक्षा से संबंधित सभी संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के कोर्सेस संचालित करने होंगे। इस हेतु ICT का उपयोग कर Course Content को डिजीटाइज करना। उच्च शिक्षा के लिए विशेष टीवी अथवा YouTube चैनल के प्रसारण पर विचार करना।
4. विद्यार्थियों को ICT संसाधनो के प्रयोग हेतु पर्याप्त डिजिटल डिवाइसेज की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
5. संपूर्ण स्टाफ एवं विद्यार्थियों के प्रभावी बायोमेट्रिक उपस्थिति अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की संभावना पर विचार कर प्रभावी पद्धति की गुण दोषों के साथ अनुशंसा।
6. शैक्षणिक स्टाफ के लिये HRMIS पद्धति की संभावना पर विचार कर सुझाव देना।
7. संचालनालय से लेकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय तक किस प्रकार क्रमशः कागज रहित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है इस पर रोडमैप।

क्रमशः.....9

6. वित्तीय आंकलन कार्यदल (Financial Implication Assessment Working Group)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर पर आने वाले वित्तीय भार का आंकलन एवं उक्त वित्तीय भार के वहन हेतु स्त्रोतों के संबंध में तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर (Financial Autonomy) बनाने के लिए सुझाव देने हेतु निम्नानुसार कार्यदल का गठन किया जाता हैः–

1.	डॉ. अरुणा पल्टा, कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	– संयोजक
2.	डॉ. पी.सी. चौबे, प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महा. रायपुर	– सह संयोजक
3.	डॉ. गरिमा गुप्ता, वैज्ञानिक–एफ, डी.बी.टी. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	– सदस्य
4.	डॉ. आर.एस. खेर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सीपत	– सदस्य
5.	डॉ. किरण गजपाल, प्राचार्य, शासकीय डी.बी. कन्या महा. रायपुर	– सदस्य
6.	श्री गोकुलानंद पंडा, कुलसचिव, मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर	– सदस्य
7.	डॉ. जे.एस. विरदी, सहायक प्राध्यापक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर	– सदस्य
8.	डॉ. आशीष आसटकर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महा0 कोहका	– सदस्य
9.	डॉ. रमेश कुमार पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	– सदस्य
10.	डॉ. वेणुगोपाल, सहायक संचालक, रूसा	–सदस्य सचिव

संदर्भ शर्तें (Terms of Reference - ToR)

1. वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार का चरणबद्ध तरीके से आंकलन।
2. व्यय भार का आकलन मदवार पुंजीगत एवं संधारण व्यय के अंतर्गत किया जाय तथा पूंजीगत व्यय की (Capital Expenditure) मदों के अंतर्गत अधोसंचना, फर्नीचर, पुस्तकालय, सूचना तकनीक के प्रयोग, प्रयोगशाला उपकरण, खेल सामग्री, तकनीकी उन्नयन आदि तथा इन्हीं मदों एवं स्थापना में वार्षिक संधारण व्यय (Maintenance Expenditure) का आकलन।
3. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन की तर्ज पर राज्य अनुसंधान फाउण्डेशन, Gender Inclusion Fund तथा NEP के दिशा–निर्देशों अनुसार अन्य फंड की स्थापना हेतु रूपरेखा तैयार करना।
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्थागत आय के स्त्रोतों का चुनाव।

क्रमशः.....10

5. अतिरिक्त व्यय भार के वहन हेतु विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त पृथक स्त्रोतों जैसे– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वित्त आयोग अनुदान, सी.एस.आर., डी.एम.एफ., टी.एस. पी. से अनुदान प्राप्त करने की संभावनाओं पर सुझाव देना।

6. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के संस्थागत विकास योजना को विभागीय वार्षिक बजट, संस्थागत आय के स्त्रोत एवं अन्य आय के स्त्रोत में समाकलन की संभावनाओं पर सुझाव देना।

7. पी.पी.पी. मॉडल को बढावा देने हेतु विभिन्न संभावनाओं पर सुझाव देना।

8. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Performance Linked Incentive) देने हेतु रूपरेखा तैयार करना।

2/ राष्टीय शिक्षा नीति, 2020 हेतु गठित क्रियान्वयन प्रारूप कार्यदल द्वारा अपना प्रतिवेदन 45 दिवस के भीतर राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका परीक्षण कर परिषद् द्वारा NEP को प्रदेश में लागू करने के अंतिम स्वरूप को अनुमोदित करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जाएगा।

3/ आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय NEP लागू करने के संबंध में कार्यदल एवं समस्त कार्य समूहों को सचिवालयीन सुविधाएं प्रदान करेगी। इस कार्य हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अकादमिक सहयोग (Academic Support Institute) प्रदान करने वाली संस्था होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/4/24

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–32/2019/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/04/2024

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
3. कलेक्टर, समस्त जिला छत्तीसगढ़
4. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़
6. समस्त संबंधित .....
.....

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. आर्डर फोल्डर।

15/4/24

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग